[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **13**/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **21** मार्च, **2018**

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और जापान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "रिसोर्सिनोल" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975 (1975** का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या **14/37/2016**-डीजीएडी, दिनांक 04 जनवरी **2018,** जिसे 04 जनवरी, **2018** के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई;
(ii) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से हुए फालतू आयात के कारण हुई है;

और उस राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है जो कि प्रश्नगत वस्तु के नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि और अवतरण मूल्य के अंतर के बराबर है । बशर्ते कि अवतरण मूल्य कॉलम 8 में निर्दिष्ट मूल्य से कम रहा हो । इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयात का अवतरण मूल्य वही होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, **3**क, **8**ख, **9** और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि और अवतरण मूल्य में अंतर के बराबर की दर से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि अमे.डॉ.	यूओएम
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	**2907**	रिसोर्सिनोल	चीन	चीन	झेजियांग	झेजियांग	**5461**	मैट्रिक

	21 00		जनवादी गणराज्य	जनवादी गणराज्य	होंग्शेंग केमिकल कं. लि.	होंग्शेंग केमिकल कं. लि./एमिनो कैम-(एच.के.) कं.लि.		टन
2	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कॉलम 1 से भिन्न कोई भी संयोजन	कॉलम 1 से भिन्न कोई भी संयोजन	**5461**	मैट्रिक टन
3	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	**5461**	मैट्रिक टन
4	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	**5461**	मैट्रिक टन
5	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	जापान	जापान	सुमितोमो केमिकल्स कं. लि.	सुमितोमो केमिकल्स कं. लि./बी.आर. केमिकल्स कं. लि. एंड ईस्ट वेस्ट कॉर्पोरेशन	**5461**	मैट्रिक टन
6	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	जापान	जापान	कॉलम 4 से भिन्न कोई भी संयोजन	कॉलम 4 से भिन्न कोई भी संयोजन	**5461**	मैट्रिक टन
7	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	जापान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	**5461**	मैट्रिक टन
8	**2907 21 00**	रिसोर्सिनोल	कोई भी	जापानर	कोई भी	कोई भी	**5461**	मैट्रिक टन

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या.354/254/2017 –टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार